राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ.11(150)/आर.एण्ड.पी./सा.न्याय एवं अ.वि./07/ 39035 जयपुर, दिनांक : 16-7-07

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) की सूची में विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने/हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा **राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग** आयोग का गठन करती है।

इस आयोग के विचारणीय बिन्दु (Terms of reference)अलग से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(डॉ. श्रीमती मालविका पवार)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(150)/आर.एण्ड.पी./सा.न्याय एवं अ.वि./07/ 39036-130 जयपुर दिनांक : 16-7-07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त मंत्री/ राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/ कोटा/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर/ भरतपुर
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
10. आयुक्त, निःशक्तजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्ष।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय/परियोजना निदेशक, एससीएसपी, मुख्यालय
17. समस्त उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
18. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त अधिकारीगण ... ...
19. गार्ड फाईल।

प्रमुख शासन सचिव